<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 50 / 2020

1 पवन सिंह पुत्र स्व. श्री तेजसिंह उर्फ तेजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
2 बिमला देवी पत्नी स्व श्री तेजसिंह उर्फ तेजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
3 सत्यवीर सिंह पुत्र स्व. श्री जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
4 रामपाल सिंह पुत्र स्व. श्री जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
5 श्रीमती सुरेश कंवर पत्नी प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
6 पूजा पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
7 श्रीमती फूला पत्नी स्व श्री जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती श्रवण कंवर उर्फ श्योकरण कंवर पत्नी रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
2 रघुवीर सिंह दत्तक पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3 श्रीमती धूमली बेवा जयचन्द जाति जाट निवासी बादल तहसील चरखी दादरी जिला भवानी (हरियाणा)

4 मनजीत पुत्र जगदीश सिंह जाति जाट निवासी बादल तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)

5 श्रीमती गुडी पुत्री जगदीश सिंह पत्नी पप्पू जाति जाट निवासी देवरी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

6 धूपसिंह पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी बादल तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)

7 ईश्वर सिंह पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी बादल तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)

8 औमप्रकाश पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी बादल तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)

9 सत्यवीर पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी बादल तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)

10 रणवीर सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

11 राजुसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

12 जगदीश सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

13 बजरंग सिंह पुत्र अमरसिह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

14 सुमेरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

15 नरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

16 विजय सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प-झुन्झुनू)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.08.2020
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ बमुकदमा
उनवानी रणवीर सिंह बनाम धूमली वगैरह दावा
इस्तंकरारहक व हुक्त इम्तनाई व दुरूस्ती
रिकॉर्ड, मु. नं. 217/2013

उपस्थिति :

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–27/12/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 217/2013 में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 16 ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर झुन्झुनू के यहां एक दावा इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई व दुरूस्ती रिकॉर्ड पेश किया जो कि भूमि पुराना खसरा नम्बर 68 रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 67 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम पिलोद के सम्बन्ध में निष्पादित विकय पत्रों को वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध शून्य व बेअसर घोषित करने बाबत किया गया था। रेस्पोडेन्टस सं. 1 व 2 ने लिखित कथन के साथ प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया बाद में दिनांक 04.07.1995 को राजीनामा प्रस्तुत होने के उपरान्त विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.04.1996 द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद, प्रतिदावा एवं राजीनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विरूद्ध होने के कारण अस्वीकार कर निरस्त किया। जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 9 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो प्रथम अपील उक्त न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 10.12.1996 द्वारा स्वीकार कर दिनांक 04.07.1995 को प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वाद डिक्री किया। जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 10.12.1996 से व्यथित होकर अपीलान्टस ने द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के यहां पेश की जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान ने दिनांक 27.02.2012 को द्वितीय अपील स्वीकार कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.12.1996 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निर्णय दिनांक 17.04.1996 निरस्त किये गये और विचारण न्यायालय को निर्देश दिये गये कि प्रकाण में उभयपक्ष को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को छह माह की अवधि में आवश्यक एवं विधिनूकूल रूप से निस्तारित करें। इसके पश्चात विचारण न्यायालय में वादीगण का दावा अदम हाजरी में खारिज हो गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के काउंटर क्लैम पर सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय से काउंटर क्लैम डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

दौराने सुनवाई अपीलांट एवं काउंटर क्लैमकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 एवं 11 की ओर से राजीनामा दिनांक 25.07.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अपील अधिकारी

न्यायालय में श्रवण कंवर पत्नी रघुवीर सिंह द्वारा काउंटर क्लैम प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री से इसी काउंटर क्लैम को डिक्री किया गया है। श्रवण कंवर उर्फ श्योकरण कंवर पत्नी रघुवीर सिंह ने इस न्यायालय में उपस्थिति होकर राजीनामा प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित काउंटर क्लैम डिक्री के निर्णय को अपास्त करने का सहमति प्रदान की है। यह राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। शेष पक्षकारों के हित इससे प्रभावित नहीं हो रहे है। अतः लोक अदालत की भावना से किये गये राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)